न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 163/2022 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. पुनमाराम पुत्र वगताराम जाति भील
निवासी आंकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. जगदीश उर्फ जगसिंह पुत्र मुकनसिंह 2. चुना पुत्र मुकना
3. नारायणसिंह पुत्र कालूसिंह 4. मंजू पत्नी अमरसिंह
5. जसवंतसिंह 6. महावीरसिंह पुत्र अमरसिंह (विप्रार्थी संख्या 5 एवं 6 नाबालिग की कुदरती वली माता मंजू पत्नी अमरसिंह)
7. जोगराजसिंह पुत्र कालूसिंह 8. गिरधारीसिंह पुत्र थानसिंह जातियान राजपूत निवासीयान आंकल तहसील सेड़वा
9. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा
10. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा बामड़ला।

सहायक कलक्टर सेड़वा

वकील प्रार्थीगण :– श्री श्रीराम विश्नोई

वकील विप्रार्थी सं. 1:– श्री दोष मोहम्मद

निर्णय

दिनांक [illegible].12.2022

प्रार्थी पुनमाराम पुत्र वगताराम जाति भील निवासी आंकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाशुदा खेत मौजा आंकल पटवार हल्का कारटिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोमड़ी तहसील सेड़वा के खसरा नं. 330/15 रकबा 1.1007 हैक्ट. किस्म गैर मु. धोरा भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थी की जोत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.22 10:06:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

व ढाणियां पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 तक के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 19 व 16 रकबा क्रमशः 8.2879 हैक्ट. व 8.9840 हैक्ट. में से चलकर सडक मार्ग तक आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है इस रास्ते से अन्य कई परिवार भी जुड़े हुए है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 16 से प्रार्थी का खेत मौके पर जुड़ता है लेकिन राजस्व रेकर्ड के नक्शे में प्रार्थी के खेत व विप्रार्थी के खेत के मध्य खसरा संख्या 15 में जो दुरी दर्शायी गयी है जो मौके पर न तो भूमि है तथा न ही वहाँ भूमि का रकबा है क्योकि खसरा संख्या 15 की सम्पूर्ण भूमि सरकार द्वारा काश्तकारों को आवंटन कर दी गयी थी केवल लठ्टा ट्रेस नक्शा गलत होने के कारण ही नक्शा और रकबा व मौके पर भिन्नता दर्शायी गयी है मौके पर खसरा संख्या 16 व 330/15 की सीमा (मांठे) आपस में जुड़ती है तथा विप्रार्थीगण के खेत से प्रार्थी की जोत पर आने–जाने हेतु कदीम रास्ता है जिसका जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षो से करते आ रहे है तथा यह एक मात्र रास्ता है काश्त के समय प्रार्थी की जोत खेत खसरा संख्या 330/15 के चारो ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगडा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दोष मोहम्मद ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 के वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है– प्रार्थी द्वारा मांगे गए उक्त 1/2 हिस्से की संयुक्त खातेदारी है तथा खसरा संख्या 16 में मेरा घर प्रार्थी के खेत की मांठ के पास बना हुआ है तथा घर से सड़क मार्ग तक आने–जाने हेतु मुझे भी उक्त प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते की जरूरत है प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 19 के सेढ़े–सेढ़े तथा खसरा संख्या 16 के बीच मे से रास्ते की मांग की गई है जो सही है क्योंकि खसरा संख्या 16 के दोनों तरफ धोरे (रेत की टीले) व उबड़ खाबड़ भूमि होने से सेढ़े–सेढ़े रास्ता देना मुमकिन नहीं है इसलिए बीच में से रास्ता दिया जाना उपयुक्त है तथा मुझे भी रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है इसी कारण मैं उक्त प्रार्थी को बिना प्रतिफल (निःशुल्क) देना चाहता हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त रास्ते कि मुझे भी अत्यंत आवश्यकता है मै प्रार्थी को बिना प्रतिफल (निःशुल्क) देना चाहता हूं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा [illegible] रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार [illegible] चाहे गए रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.22 10:06:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंकल में समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 104 से 111 दिनांक 18.08.2022 को जारी किये गये थे जिनकी तामिली विधिवत रूप से करवायी गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर गिरधरसिंह पुत्र थानसिंह, जगदीश उर्फ जगसिंह पुत्र मुकनसिंह, पूनमाराम पुत्र वगताराम उपस्थित। उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है– प्रार्थी पूनमाराम ने अपनी खातेदारी खेत ग्राम आंकल पटवार क्षेत्र कारटिया के खेत खसरा संख्या 330/15 रकबा 1.1007 हैक्ट. किस्म गैर मु. धोरा से सड़क मार्ग तक जाने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम आंकल के खसरा संख्या 16 रकबा 8.9840 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम एवं खसरा संख्या 19 रकबा 8.2879 हैक्ट. किस्म बारानी दोयम में से रास्ते की मांगी की है जिका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदीश उर्फ जगसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	16	8.9840 हैक्ट.	206 गट्ठा*3 गट्ठा	0.2500 हैक्ट.	आंकल	53613/–	बारानी सोयम
2.	जगदीश उर्फ जगसिंह पुत्र मुकनसिंह 1/2 हि0 जसवंतसिंह पुत्र अमरसिंह 1/54 हि0 जोगराजसिंह पुत्र कालूसिंह 1/18 हि0 नारायणसिंह पुत्र कालूसिंह 1/18 हि0 मंजू पत्नी अमरसिंह 1/54 हि0 गिरधारीसिंह पुत्र थानसिंह 1/6 हि0 चूना पुत्र मुकना 1/6 हि0 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रहन–चुना का हि0 SBBJ शाखा बामड़ला	19	8.2879 हैक्ट.	333 गट्ठा*3 गट्ठा	0.4043 हैक्ट.	आंकल	90840/–	बारानी दोयम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.22 10:06:16 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम आंकल के खसरा संख्या 330/15 से सड़क मार्ग तक [illegible] हेतु खसरा संख्या 16 रकबा 8.9840 हैक्ट. में से 0.2500 हैक्ट. तथा [illegible] 8.2879 हैक्ट. में से 0.4043 हैक्ट. भूमि प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त होगी जिसकी संलग्न नक्शों में लाल रंग से दर्शाया

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

गया है प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। खसरा संख्या 16 रकबा 8.9840 हैक्टयर में प्रस्तावित रास्ता खसरे के बीचों बीच दिया गया है क्योंकि उक्त खसरे के दोनों तरफ धोरे होने से आवागमन योग्य नहीं है तथा बीच में भूमि समतल है आवागमन योग्य है खसरा संख्या 16 के खातेदार खसरे के बीच में से प्रस्तावित रास्ता देने हेतु सहमत है प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती पेड़ मकान नहीं है प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ग्राम आंकल की सिंचित सड़क पर डीएलसी दर 36335/– प्रति बीघा तथा सिंचित सड़क से दूर 34701/– प्रति बीघा है उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन समझ कर निम्नलिखित ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं विप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खेत खसरा संख्या 16 व खसरा संख्या 19 रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत निःशुल्क देने हेतु तैयार है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदीश उर्फ जगसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	16	8.9840 हैक्ट.	206 गट्ठा* 3 गट्ठा	0.2500 हैक्ट.	आंकल	53613/–	बारानी सोयम
2.	जगदीश उर्फ जगसिंह पुत्र मुकनसिंह 1/2 हि0 जसवंतसिंह पुत्र अमरसिंह 1/54 हि0 जोगराजसिंह पुत्र कालूसिंह 1/18 हि0 नारायणसिंह पुत्र कालूसिंह	19	8.2879 हैक्ट.	333 गट्ठा* 3 गट्ठा	0.4043 हैक्ट.	आंकल	90840/–	बारानी दोयम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.22 10:06:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

	1/18 हि0 मंजू पत्नी अमरसिंह 1/54 हि0 गिरधारीसिंह पुत्र थानसिंह 1/6 हि0 चूना पुत्र मुकना 1/6 हि0 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रहन–चुना का हि0 SBBJ शाखा बामड़ला							

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थी विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें विप्रार्थी संख्या 1 निःशुल्क तथा शेष पक्षकार को देय राशि की अलग-अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि [illegible] प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को छोड़कर प्रभावित शेष पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को [illegible] रास्ते में समाविष्ट होने वाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.22 10:06:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते सेड़वा

उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को छोड़कर व शेष विप्रार्थी (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थी संख्या 1 को छोड़कर शेष विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दी जावें। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 09.12.2022 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(रामजी भाई **कलबी**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.22 10:06:16 IST
Reason: SelfAttested